CANCELLED CANCELLED

श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

(जबलपुर कैंप) R 886-I-17

1. लक्ष्मण सिंह आ0 जयराम उम्र 65 वर्ष जाति लोधी पेशा काश्तकारी निवासी ग्राम लोलरी पो0 देवरी (राजमार्ग) तह0 तेन्दूखेडा जिला नरसिंहपुर म0प्र0।
2. शंकरलाल आ0 नन्हेंलाल उम्र 55 वर्ष जाति लोधी पेशा काश्तकारी निवासी ग्राम लोलरी पो0 देवरी (राजमार्ग) तह0 तेन्दूखेडा जिला नरसिंहपुर म0प्र0।
3. बाबूलाल आ0 भवानी प्रसाद उम्र 62 वर्ष जाति लोधी पेशा काश्तकारी निवासी ग्राम लोलरी पो0 देवरी (राजमार्ग) तह0 तेन्दूखेडा जिला नरसिंहपुर म0प्र0।

पुनरीक्षणकर्ता

28 FEB 2017

बनाम

1. रामकिशन आ0 भानसिंह उम्र 58 वर्ष जाति लोधी पेशा काश्ताकारी निवासी लोलरी पो0 देवरी (राजमार्ग) तह0 तेन्दूखेड़ा जिला नरसिंहपुर म0प्र0।
2. राजकुमार आ0 भानसिंह उम्र 50 वर्ष जाति लोधी पेशा काश्ताकारी निवासी लोलरी पो0 देवरी (राजमार्ग) तह0 तेन्दूखेड़ा जिला नरसिंहपुर म0प्र0।

उत्तरवादी

पुनरीक्षणकर्ता अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता

यह पुनरीक्षण याचिका न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय तेन्दूखेड़ा जिला नरसिंहपुर के न्यायालय द्वारा मौजा लोलरी न0व0 418 प0ह0नं0 39 रा0नि0मं0 चॉवरपाठा तह0 तेन्दूखेड़ा जिला नरसिंहपुर के द्वारा राजस्व मामला कमांक 26अ/12 वर्ष 2015-16 में राजस्व निरीक्षक के द्वारा किये गये सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 17/04/2016 से परिवेदित होकर प्रस्तुत की जा रही है जिसके तथ्य एवं आधार निम्नलिखित है –

पुनरीक्षण के तथ्य

(1) यह कि उत्तरवादीगण के नाम से मौजा लोलरी न0व0 419 प0ह0नं0 39 रा0नि0मं0 चॉवरपाठा तह0 तेन्दूखेड़ा जिला नरसिंहपुर म0प्र0 में राजस्व अभिलेखों में ख0नं0 53/1 रकवा 0.032 हे0 भूमि बतौर भूमि स्वामी सहखातेदार दर्ज है। परंतु उक्त रकवे पर उत्तरवादीगण का कभी भी दृश्यमान कब्जा नहीं रहा है।

(2) यह कि उक्त रकवे का कभी भी किसी भी सक्षम राजस्व न्यायालय के माध्यम से नक्शा में दुरुस्ती नहीं की गई है, यहां तक की सीमांकन के प्रकरण में उत्तरवादीगण के द्वारा जो ख0नं0 53/1 की तहसील कार्यालय तेन्दूखेड़ा के द्वारा

शंकरलाल बाबूलाल लक्ष्मनसिंह

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-886-एक/17 **जिला** - नरसिंहपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25/02/2019	प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के सीमांकन आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 30.04.2019 को अनुविभागीय अधिकारी तह. तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **<u>अनुविभागीय अधिकारी तेंदूखेड़ा</u>**	